न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025/70 **दायरा दिनांक : 22.04.2025**

उनवान

1. कैलाश चन्द आत्मज ग्यारसीराम धाकड
2. कन्हैयालाल उर्फ कालू उर्फ कमलेश आत्मज रामलाल धाकड,
   निवासीयान सेमला, तहसील सुनेल, जिला झालावाड, राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1. रामलाल आत्मज नारायण, जाति धाकड, निवासी सेमला, तहसील सुनेल, जिला झालावाड राजस्थान
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार सुनेल, जिला झालावाड राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री पूरी लाल राठौर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री अमितोषाचार्य अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 05.12.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या – 20/2024 निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2025 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 183, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम सेमला पटवार हल्का सेमला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुनेल, जिला झालावाड राजस्थान में खाता संख्या नया 473 पुराना 93 के खसरा नं. 662 रकबा 0.2023 हेक्टर, खसरा नं. 674 रकबा 0.3541 हेक्टर, खसरा नं. 675 रकबा 0.1897 हेक्टर, खसरा नं. 676 रकबा 0.0253 हेक्टर, खसरा नं. 677 रकबा 0.0379 हेक्टर, खसरा नं. 678 रकबा 0.0632 हेक्टर, खसरा नं. 679 रकबा 0.3035 हेक्टर, खसरा नं. 681 रकबा 0.3920 हेक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 1.5680 हेक्टर आराजी स्थित है एवं ग्राम सेमला पटवार हल्का सेमला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुनेल, जिला झालावाड राजस्थान में खाता संख्या नया 192 पुराना 186 के खसरा नं. 809 रकबा 0.0126 हेक्टर, खसरा नं. 824 रकबा 0.0379 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.0505 हेक्टर आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधिकारी, पिडावा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2025 से वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की तामील अपीलार्थीगण को विधिवत नहीं हुई जिसके चलते अपीलार्थीगण माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिस कारण विचारण न्यायालय का निर्णय अपीलार्थीगण को विधिवत सुनवाई के बिना एक तरफा हुआ व एक पक्षीय निर्णित हुआ। अपीलार्थीगण को विचारण न्यायालय के सद में जवाब, साक्ष्य व विधिवत सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। वादी के पिता नारायण उर्फ लक्ष्मीनारायण को उनके जीवनकाल के बाल्यावस्था में ही ग्राम सुनेल में कारूलाल आत्मज देवा जी के यहां उनके जैविक पिता लाला जी निवासी सेमला द्वारा आज से करीब 60 वर्ष पूर्व दत्तक रख दिया था जिसके तहत नारायण उर्फ लक्ष्मीनारायण का ग्राम सेमला के लाला जी के परिवार से सारे नाते, रिश्ते खत्म हो गए थे व उनके स्थान पर ग्राम सुनेल में कारूलाल जी के परिवार से जुड़ गए थे, जिसका प्रमाण राजस्व अभिलेख में नारायण उर्फ लक्ष्मीनारायण का नाम दर्ज है किन्तु राजस्व अधिकारियों को जानकारी नहीं देने के अभाव में ग्राम सेमला की भूमि पर लाला जी की मृत्यु उपरान्त नारायण लाला जी के उत्तराधिकारियों में नारायण जी का नाम भी दर्ज हो गया व नारायण जी के मरने के उपरान्त नारायण जी के विधिक उत्तराधिकारों का नाम दर्ज हो गया जिसे नारायण जी के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा नारायण जी के दत्तक जाने के कम में दिनांक 03.08.2005 को हक त्याग पत्र विलेख लिखकर ग्राम सेमला के खाता संख्या 132 में स्थित खसरा नं. 638, 941, 986, 987, 1039 की 11 बीघा 2 बिस्वा तथा खाता संख्या 133 के खसरा नं. 12 बीघा 2 बिस्वा भूमि में त्याग दिया था जिसमें उक्त वादी प्रत्यर्थी संख्या 1 रामलाल भी सम्मिलित था किन्तु उक्त भूमि में हक त्याग पत्र उनके द्वारा लिखे जाने से रह गया। नारायण जी के ग्राम सुनेल दत्तक जाने से ही ग्राम सेमला की कृषि भूमि पर अपीलार्थीगण के पितामह तथा पिता कब्जा बताकर काश्त करते रहे व उनकी मृत्यु उपरान्त अपीलार्थीगण कब्जा बनाये हुए हैं, इस प्रकार अपीलार्थीगण का व उनके पिता व पितामह कब्जा विधिक खातेदार नारायण जी के दत्तक जाने से व उनके द्वारा दत्तक के समय से ही विधि के आलोक में विधिक संस्था के खातेदार रहे नारायण जी के दत्तक के समय से ही ग्राम सेमला की भूमि में समस्त हक व अधिकार त्याग करने से व्युत्पन्न हुआ है। जिसके अनुसार ही अपीलार्थीगण मौके पर अपने अपने हिस्से पर काबिज रहे हैं, जो सबके ज्ञान में है इस कारण वादी दत्तक विधि की प्रकिया तथा अपने जीवनकाल दावाकृत भूमि पर कभी भी कब्जा धारण नहीं करने तथा दिनांक 03.08.2005 को हक त्याग पत्र विलेख से मान्यता देने के कारण विबन्धित है। दावाकृत भूमि पर किस हिस्से पर वादी काबिज रहा तथा वादी किस हिस्से की चतुर्थ सीमा पर कब्जा चाहता

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

है, वाद में परिलक्षित नहीं होता है। वाद में वादी के कब्जे के निर्धारण के संबंध में पूर्ववर्ती विभाजन आवश्यक है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2025 को अपास्त किया जावे विकल्प में वर्तमान काबिज व्यक्तियों को पक्षकार बनाते हुए वाद में जवाबदेही, साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने का आदेश पारित किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने धारा 183, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का दावा किया था। तामील नोटिस पर जो हस्ताक्षर अंकित है वह कन्हैयालाल के नहीं है। कैलाश के हस्ताक्षर भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में आर्डर 5 नियम 18 के तहत तामील करवायी है। तामील कुनिन्दा को सम्मन दिनांक 20.03.2024 को प्राप्त हुए और तामील कुनिन्दा ने दिनांक 21.03.2024 को तामील करना बताया है। तामील पर दो गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है और ना ही पता लिखा है तथा ना ही गवाह मौजूद है यह भी रिर्पोट में अंकित नहीं किया है। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने के बावजूद रीडर ने सम्मन को बाद तामील मानकर पीठासीन अधिकारी के अधिकारों का उपयोग किया है जो गलत है। खाता संख्या 473 में 44 खातेदार हैं। वादी अपना 1/48 हिस्सा बताता है, जो निर्धारित नहीं है क्योंकि वादग्रस्त आराजी का विभाजन नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय में सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है जो आवश्यक था। वादी रामलाल सेमला में नहीं रहता है वह सुनेल में रहता है। रामलाल दत्तक चला गया था। कैलाश चन्द अपीलांट के पिता ग्यारसीराम का नाम जमाबंदी में सातवे नम्बर पर दर्ज है। रामलाल का नाम चौतिसवे नम्बर पर दर्ज है। रामलाल सेमला में नहीं रहता वह सुनेल में दत्तक गया, उसने वहां की सम्पत्ति प्राप्त की। ये सभी तथ्य अधीनस्थ न्यायालय में रखने का अवसर देने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जाये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि अपीलांट्स ने गलत आधारों पर अपील प्रस्तुत की है। माननीय विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण/अपीलांट्स को जरिये सम्मन तलब किया जाकर सुनवाई हेतु उचित अवसर दिया गया है। माननीय विचारण न्यायालय में दिनांक 27.02.2024 को प्रकरण दर्ज कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण/अपीलांट्स को तलब किया। इसके पश्चात् माननीय विचारण न्यायालय में आगामी तारीख पेशी 01.04.2024 को सम्मन इंतजार में नियत की गई, दिनांक 27.06.2025 को सम्मन बाद तामील होने पर पीठासीन अधिकारी नहीं होने से आगामी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

तारीख 12.08.2024 नियत की गई। दिनांक 12.08.2024 को पीठासीन अधिकारी का दौरा होने से दिनांक 11.11.2024 को प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में ली गई। इस कारण प्रतिवादीगण/अपीलान्ट्स को माननीय विचारण न्यायालय ने सुनवाई का समुचित अवसर दिया है। समुचित अवसर मिलने के पश्चात् भी प्रतिवादीगण/अपीलान्ट्स माननीय विचारण न्यायालय में जानबूझकर उपस्थित नहीं हुए। इस कारण अपीलान्ट को अब उचित अवसर दिया जाना विधि की रोशनी में उपयुक्त नहीं है। प्रतिवादीगण/अपीलान्ट्स निर्णय/डिक्री की जानकारी होने के बाद माननीय विचारण न्यायालय ने ही एक पक्षीय आदेश, पारित निर्णय/डिक्री को अपास्त करवाने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्राप्त प्रावधान आदेश 09 नियम 13 एवं धारा 151 सी० पी० सी०, आदेश 09 नियम 07 एवं धारा 151 सी० पी० सी० के अन्तर्गत् प्राप्त पत्र पेश करने का अवसर प्राप्त रहा हैं। प्रतिवादीगण/अपीलान्ट्स ने प्रस्तुत अपील में जिन कथनो का वर्णन किया है वह काल्पनिक एवं गलत है। वादी रामलाल खातेदार है। इस कारण प्रतिवादीगण/अपीलान्ट्स को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का हकदार हैं। वादी/रेस्पोडेन्ट एवं प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार से पारिवारिक सम्बन्ध नहीं है। नारायण जी वादी के पिता के हक हिस्से, नाते रिश्ते, लाला जी के परिवार में समाप्त नहीं हुए हैं। लालाजी जो वादी/रेस्पोडेन्ट के दादा रहे है उनकी खातेदारी में दर्ज आराजी में उत्तराधिकारी के रूप में वादी के पिता नारायण जी का नाम विरासत नामान्तरकरण में दर्ज हुआ है। नारायण जी की मृत्यु के पश्चात फौती इंतकाल से वादी/रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज हुआ है। इस कारण अपीलान्ट ने अपने द्वारा पेश अपील में दत्तक, हकत्याग विलेख का जो वर्णन किया है वह काल्पनिक एवं आधारहीन हैं। इस आधार पर भी अपीलान्ट्स की अपील पोषणीय नहीं है। वादी का कब्जा काश्त अपने पिता के जीवनकाल में तथा उनकी मृत्यु के बाद हक हिस्से के अनुसार निरन्तर चला आ रहा है। वादी/रेस्पोडेन्ट ने काश्त करने के लिए अपने हक हिस्से भूमि प्रतिवादीगण/अपीलान्ट्स को पाती से दी गई थी. पांती (बाटेदार) से काश्त करने पर प्रतिवादीगण/अपीलान्टस के मन में बदनियति उत्पन्न होने से तथा प्रतिवादीगण/अपीलान्ट्स के पास बाहुबल होने से प्रतिवादीगण/अपीलान्ट्स वादी/रेस्पोडेन्ट की भूमि पर कब्जा बनाये रखने की सोच से आराजी को हाक जोत कर सीमा चिन्हो को नष्ट किया गया तब विवाद होने पर वादी/रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट्स को आराजी पर फसल बोने से मना किया तब अपीलान्ट्स ने बाहुबल का जोर बताते हुए तथा वादी/रेस्पोडेन्ट की कमजोरी, वृद्धावस्था का फायदा उठाकर कब्जा छोडने से मना कर दिया ओर तैयार फसल में वादी/रेस्पोडेन्ट का हिस्सा देने से मना किया। यह विवाद होने से रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के विरूद्ध वाद पेश किया। रेस्पोडेन्ट्स के द्वारा सूचना तलवी होने के बावजूद भी माननीय विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब देही करना उचित नहीं समझा क्योंकि अपीलान्ट्स बाहुबली होने से उनके दिलो, दिमाग पर न्यायालय

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

के प्रति, न्यायालय की कार्यवाही के प्रति कोई विचार नहीं होने से तथा वादी/रेस्पोडेन्ट की वृद्धावस्था एवं कमजोरी देखकर भूमि हथियाने की सोच रखते हुए माननीय विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। तब माननीय विचारण न्यायालय ने एक पक्षीय निर्णय/डिक्री पारित किया। यह निर्णय डिक्री विधि की रोशनी में उचित प्रकिया, उचित सुनवाई के तहत पारित की गई है। इस कारण अपीलान्ट्स के द्वारा पेश अपील पोषणीय नहीं है। अपीलान्ट् ने एक काल्पनिक कहानी तैयार कर दत्तक शब्द का उपयोग करते हुऐ। अपील पेश की हैं। वादी/रेस्पोडेन्ट्स के समस्त हक, अधिकार अपने खातेदारी में दर्ज हक हिस्से की आराजी पर विधमान हैं। जिन्हे चुनौती देने का अधिकार अपीलान्ट्स को प्राप्त नही है तथा शेष जो आधार अपीलान्ट्स ने अपने द्वारा पेश अपील में अंकित किये वह कलपित, कल्पना है जिसका सम्बन्ध वास्तविक कथनो एवं तथ्यों से नही हैं। यदि इस प्रकार की कोई डिफेंस कथन अपीलान्ट्स की जानकारी में रहे हैं तथा उनके बाबत् अपीलान्ट्स के पास दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य उपलब्ध रही है तो अपीलान्ट को माननीय विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए, जवाब देही एवं साक्ष्य पेश करने के लिए विधिवत सुनवाई का अवसर माननीय विचारण न्यायालय ने समुचित अवसर दिया है। इस कारण अपील में वर्णित कथनो, आधारो पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि सभी तथ्यों का वर्णन अपीलान्ट्स ने काल्पनिक कहानी के रूप में वर्णित किया हैं। कानून की रोशनी में अपील पोषणीय नही हैं। वादी/रेस्पोडेन्ट खातेदार है तथा प्रतिवादीगण अतिक्रमी श्रेणी के व्यक्ति है कानून में अतिक्रमी को प्रोत्साहन नही दिया जा सकता हैं। अपीलान्ट् एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य सह–खातेदारी के सम्बन्ध भी नहीं है। अपीलान्ट्स पर वादी/रेस्पोडेन्ट ने विश्वास कर अपने खातेदारी हक हिस्से की आराजी बाटेदारी से काश्त करने के लिए दी गई हैं। अपीलान्ट्स ने विश्वास कर दुरूपयोग कर वादी/रेस्पोडेन्ट की आराजी पर अतिक्रमण कर विधि के विरूद्ध कब्जा बनाये रखना चाहते है। इस कारण अपीलान्ट्स को बेदखल किया जाना आवश्यक हैं। अपीलान्ट्स के पास जिस चतुर्थ सीमा का भाग हिस्सा रेस्पोडेन्ट ने बाटेदार/पातीदार की हैसियत से दिया है उसी भाग से अपीलान्ट्स को बेदखल कर वादी/रेस्पोडेन्ट को शीघ्र कब्जा सौंपे जाने का निर्णय/डिक्री तथा प्रतिवादी नं. 01 व 02 को जबरबन कब्जा नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया। यह निर्णय/डिक्री माननीय विचारण न्यायालय की जारी की गई है जो विधि के अनुरूप होने से जैरकार अपील निर्णय/डिक्री की पुष्ठी माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा किया जाना उचित है। अपील पोषणीय नही होने से खारीज होने योग्य हैं। माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विधि के अनुरूप अवलोकन किया है तथा अवलोकन एवं विचारण के पश्चात् वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश वाद प्रतिवादी नं. 01 व 02 के विरूद्ध डिक्री विधि की रोशनी में उपयुक्त हैं। अतः प्रार्थना है कि वाद पत्र, दस्तावेजी साक्ष्य,

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

मौखिक साक्ष्य एवं लिखित बहस का अवलोकन कर अपीलान्ट्स/प्रतिवादी नं. 01 व 02 द्वारा पेश अपील सव्यय, हर्जाना अधिरोपित करते हुए निरस्त करने की कृपा करें।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट द्वारा अन्तर्गत धारा 183, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् एक दावा इस आशय का पेश किया है कि ग्राम सेमला, तहसील सुनेल, जिला झालावाड में खाता संख्या नया 473 पुराना 93 की कुल किता 8 कुल रकबा 1.6568 हैक्टर तथा ग्राम सेमला, तहसील सुनेल, जिला झालावाड में खाता संख्या नया 192 पुराना 186 की कुल किता 2 कुल रकबा 0.0126 हेक्टर आराजी वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी है। उक्त आराजी पारिवारिक सेटलमेंट बंटवारा से सुविधा अनुरूप हिस्से खेती करके पांति से प्रतिवादी कम 1 व 2 को दी गयी। प्रतिवादी कम 1 व 2 ने जोर जबरदस्ती व् ताकल के बल पर उक्त वर्णित आराजी को हांक जोत कर अपने खेत में मिला ली तथा जबरन कब्जा कर लिया। अतः प्रतिवादी कम 1 व 2 अतिक्रमी होने से बेदखल किये जाने योग्य है। अतः प्रतिवादी कम 1 व 2 को बेदखलकर वादी को वापिस कब्जा दिलाया जावे और प्रतिवादी कम 3 को वादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान कर वादी को कब्जा सौंपने के लिए निर्देशित किया जावे।

उक्त दावे में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2025 से वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी नं. 3 तहसीलदार सुनेल को वादी की ग्राम सेमला की वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 474 किता 8 रकबा 1.5680 हैक्टर एवं खाता संख्या 192 कितर 2 रकबा 0.0505 हेक्टर में निहित हिस्से से प्रतिवादी नं. 1 व 2 को बेदखल कर वादी को कब्जा सौपने के आदेश दिये। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को पाबन्द कर वादी की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करने का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया। इस निर्णय से प्रसन्न होकर अपीलांट/प्रतिवादी कम 1 व 2 द्वारा न्यायालय हाजा मे अपील पेश की गयी है।

अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की तामील अपीलार्थीगण को नहीं हुई जिसके चलते अपीलार्थीगण विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिस कारण

(दीप्ति रामचेन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विचारण न्यायालय में अपीलार्थीगण जवाब प्रस्तुत करने का एवं साक्ष्य व सुनवाई का विधिवत अवसर प्राप्त नहीं हुआ और विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए एक तरफा डिक्री कर दिया। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि सम्मन की तामील पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाये गये हैं, जिसकी पुष्टि अपील के वकालतनामे पर अंकित अपीलांट के हस्ताक्षर से की जा सकती है। सम्मन तामील पर गवाह के हस्ताक्षर व नाम, पता भी अंकित नहीं है एवं यह रिपोर्ट भी अंकित नहीं है कि गवाह मौजूद नहीं था। इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न सम्मन नोटिस का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि सम्मन तामील पर अंकित प्रतिवादी अपीलांट के हस्ताक्षर एवं वर्तमान अपील में प्रस्तुत वकालतनामे के हस्ताक्षर में भिन्नता है, जिससे प्रतिवादी अपीलांट पर सम्मन की विधिवत तामील पर संदेह उत्पन्न होता है। प्रतिवादी अपीलांट पर सम्मन की तामील में आर्डर 5, नियम 16, 18 सी. पी. सी. की विधिवत पालना का अभाव प्रतीत होने के कारण प्रतिवादी अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने से वंचित रह गये। अतः आर्डर 5 सी.पी.सी. के विधिक प्रावधान एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना के अभाव में हम अपीलाधीन एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री को अपील के इस स्तर पर खारिज करना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2025 खारिज की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.01.2026 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/12/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा